

30.10.18

~~पतावली चेशा दुई / अभिभाषक अभिपक्ष  
उपाहित / अभिभाषक अपीलगत  
के चेशा से इन्फो. न की कायम मुकाम  
की अपेक्षाही नहीं कर रहे जबकि उनके  
के बाद विदायन ही मुकी है। आभ  
उपी- डाल कायम मुकाम अपेक्षाही नहीं  
के कारण अपील उद्यम त कर्मिण  
में खारिज करना उचित समझते हैं।~~

~~अतः अपील अपीलगत उद्यम  
कर्मिण (अतः न क-खारिज) में खारिज  
की जाती है। पतावली फैलल मुभार वेंक  
सम्बन्ध में सम् ली।~~

  
राजस्व अयान अधिकारी  
अजमेर